वर्ष 4, संख्या 96

रु. 1/-

राष्ट्र महिला

सितम्बर 2007

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

रात की पारी में महिलाओं की नियुक्ति को कानूनी स्वीकृति देने का सरकार का हाल का निर्णय न केवल महिला सशक्तिकरण की विजय है, अपितु इससे उन महिलाओं का हौसला भी बढ़ेगा जो नौकरी के अवसरों के समान अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं।

कुछ समय पूर्व जब कर्नाटक सरकार ने रात की पारी में महिलाओं को नियुक्ति पर रोक लगा दी थी तो सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, पेशेवर कामकाजी महिलाओं तथा आम समाज में इससे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ था और उन्होनें इस कदम को बहुत प्रतिगामी तथा महिलाओं के काम के मूल अधिकारों का हनन करार दिया था। परन्तु सर्वव्यापी आलोचना ने कर्नाटक सरकार को महिलाओं के रात को काम करने के भेदात्मक प्रतिबंध को वापस लेने पर मजबूर किया।

केन्द्र सरकार अब फैक्टरी अधिनियम, 1948 के रात की पारी में काम करने संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने का विचार कर रही है। इस बारे में मंत्रिमंडल ने लोक सभा में लम्बित फैक्टरी (संशोधन) विधेयक 2005 में और आगे संशोधन किए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। महिलाओं पर रात की पारी में काम करने की रोक हटाने के लिए फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 66 को संशोधित किया जायेगा।

चर्चा में — महिलाओं को रात की पारी में काम करने की स्वीकृति

इससे पूर्व, कानून में उन्हीं महिलाओं को देर रात काम करने की अनुमति थी जो प्रबंधक वर्ग की थीं अथवा किसी अन्य ऊंचे पद पर नियुक्त थीं या जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत थीं। प्रस्तावित संशोधनों के बाद, महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में देर रात की पारी में काम कर सकती हैं। इस समय उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध केवलमात्र अपवाद यह है कि राज्य सरकारें कानून में कुछ ढील दे सकती हैं।

यह कदम ऐसे उद्योगों के लिए भी सहायक होगा जहां बड़ी संख्या में महिलाएं कामगरों की आवश्यकता होती है और वस्त्र उद्योग को जहां कि भारी संख्या में महिलाएं काम करती हैं बढ़ावा मिलेगा।

संशोधन विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि नियोक्ताओं को महिलाओं की प्रतिष्ठा, सम्मान तथा संरक्षा का प्रबंध करना होगा और फैक्टरी परिसर से उनके आवास के निकटतम स्थान तक यातायात मुहय्या कराना होगा। ये सारे कदम स्वागत योग्य हैं जिनसे महिलाओं को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता किए बिना रात की ड्यूटी पर जाने में सहायता मिलेगी।

निस्संदेह, इन नये परिवर्तनों से महिलाओं का काम से निकाले जाने का भय समाप्त हो जायेगा और रात की पारी में काम करने के कारण नियोक्ता द्वारा शोषित किए जाने का डर भी नहीं रहेगा।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के साथ महिलाओं संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अध्यक्षा गिरिजा व्यास आयोग की सदस्याओं तथा सदस्य-सचिव सहित उनसे मिलीं

आयोग के नये सदस्य सचिव

श्री समिरेन्द्र चटर्जी ने, जो अभी हाल तक मेघालय सरकार में मुख्य अतिरिक्त सचिव थे, 10 सितम्बर 2007 से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

श्री चटर्जी 1976 बैच के असम केडर के आइएएस अधिकारी हैं जिन्हें विविध प्रकार का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। उन्होंने असम और मेघालय के सब-डिवीजनों तथा जिलों में कार्य किया है तथा राज्य सचिवालय के उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त, ग्रामीण विकास, यातायात, समाज कल्याण विभागों के संयुक्त सचिव, कमिश्नर, सचिव एवं मुख्य अतिरिक्त सचिव के स्तरों पर कार्य किया है। वह राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योगों के मुख्य कार्यकारी भी रहे हैं।

भारत सरकार के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, जनजाति कार्य मंत्रालयों में वह अवर सचिव से लेकर संयुक्त सचिव तक के विभिन्न पदों पर भी कार्य कर चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के सदस्य (निजी निवेश) के रूप में भी उन्होनें काम किया है।

बीच में श्री चटर्जी ने अध्यापन अवकाश लेकर बोस्टन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. तथा एम.फिल. किया और तत्पश्चात उसी विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक वहां के एमबीए के विद्यार्थियों को प्रबंध अर्थशास्त्र पढ़ाया। 1977 में उन्होंने आस्ट्रेलिया के साउथ क्रास विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. की डिग्री ली।

हम आयोग में श्री चटर्जी का स्वागत करते हैं।

शिकायत कक्ष से

दार्जिलिंग के सुखिया पोखरी की सुश्री चम्पा थापा को अपनी पुत्री टिंकिल के साथ दिल्ली के गिर्द मानसिक रुग्णावस्था में घूमता हुआ पाया गया। दिल्ली राज्य महिला आयोग ने उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सुपुर्द कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री मालिनी भट्टाचार्य ने बापूघर में उनके रहने का प्रबंध किया। बाद में, सुश्री भट्टाचार्य ने एक गैर सरकारी संगठन 'स्टाप' की सहायता से उन्हें कोलकता भेजने का प्रबंध किया। वहां उन्हें अखिल बंगाल महिला यूनिअन गृह ले जाया गया। उसी दिन 'सेवाक' के मनोचिकित्सकों ने चम्पा का परीक्षण किया और पाया कि उसका लगातार इलाज आवश्यक है। चूंकि चम्पा अपनी पुत्री से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए 'सेवाक' द्वारा उन्हें 24 परगना में अपने हाफ-वे होम ले जाया गया।

इसी बीच सुश्री भट्टाचार्य ने दार्जिलिंग के एस.पी. को पत्र लिख कर निवेदन किया है कि वह चम्पा के भाई को उसके कोलकता आने के बारे मे सूचित करें। उन्होनें एस.पी. से चम्पा के पति का पता लगाने का आग्रह भी किया है जो कि सेना में कार्यरत बताया जाता है। परामर्शदात्री प्रमिला राना ने इस मामले में सदस्या की सहायता की।

आयोग घरेलू कामगारों के लिए नियम तैयार करेगा

घरेलू महिला कामगारों के अनैतिक व्यापार एवं उनके साथ दुराचार की शिकायतों मिलने के बाद, आयोग उनके लिए ऐसे नियम बनाए जाने पर विचार कर रहा है जिनसे उन्हें एक न्यूनतम वेतन तथा उचित काम के घंटे आश्वस्त होंगे। घरेलू कामगारों के अधिकारों को विनियमित करने वाले एक विधेयक का प्रारूप भी तैयार किया जायेगा।

इस मुद्दे के संबंध में आयोग की अन्य सिफारिशें हैं उन्हें काम दिलाने वाली बेईमान ऐजेंसियों पर और उनकी भर्ती पर अंकुश रखना। वास्तव में इन सिफारिशों का कारण झारखंड, बिहार और बंगाल जैसे गरीब राज्यों से लाई जाने वाली धरेलू कामगारों को धडल्ले से चल रहे शोषण से बचाना है।

आयोग द्वारा किए गये एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन से प्रतीत हुआ कि काम दिलाने वाली एजेंसियां गरीब क्षेत्रों से कामगारों को बड़े शहरों में लाती हैं। इन महिलाओं को या तो उनके परिवारों या रिश्तेदारों से खरीदा जाता है अथवा गलत बहाने बनाकर लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें अमानवीय दशाओं में ढकेल दिया जाता है।

संभवत: काम दिलाने वाली एजेंसियों का एक निगरानी प्राधिकार में पंजीकरण कराया जाना कानूनन अनिवार्य कर दिया जायेगा। इससे इन एजेंसियों के कार्यकरण की छानबीन की जा सकेगी। ऐसी एजेंसियों को नियोक्ताओं तथा कामगारों के नाम और पते भी रखने होंगे। एक संविदा प्रणाली भी लागू की जायेगी ताकि काम की शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा सकें।

आयोग का विचार एक व्यापक कानून तैयार करने का भी है जिसमें इन कामगारों के अधिकारों के उल्लंघन पर सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा।

लिंग परीक्षणों पर प्रतिबंध

बम्बई उच्च न्यायालय ने सेक्स निर्धारण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाले संशोधन को जायज ठहराते हुए कहा है कि जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण नारी भ्रूणहत्या के समान है और लड़की का जन्म न होने देना महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है।

न्यायाधीशों ने कहा कि गर्भधारण-पूर्व लिंग निर्धारण का अर्थ है प्रकृति के विरूद्ध जाना और यह हमारे संविधान की भावना के भी प्रतिकूल है।

एक युगल ने, जिनकी 16 तथा 6 वर्षीय दो पुत्रियां थीं और जिसे एक लड़के की चाहना थी, ''जन्म-पूर्व निदान परीक्षण (दुरुपयोग का विनियमन एवं निवारण) अधिनियम, 2002'' को इस आधार पर चुनौती दी थी कि बच्चे के लिंग का चुनाव माता-पिता का संवैधानिक अधिकार है। किन्तु न्यायाधीशों ने कहा कि लिंग का चुनाव करना वैसा ही होगा जैसे नारी भ्रूणहत्या।

अ-निवासी भारतीयों की परित्यक्ता पत्नियों को सहायता

अ-निवासी भारतीयों द्वारा अपनी पत्नियां छोड़ दिए जाने की बढ़ती हुई शिकायतों को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने उन्हें विदेशों में वित्तीय एवं कानूनी सहायता दिलाने की एक योजना जारी की है।

इस योजना के अंतर्गत, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की सूची में शामिल किए गये विश्वसनीय भारतीय महिला संगठनों या भारतीय संघों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा उन्हें मंत्रणा एवं कानूनी सहायता प्रदान की जायेगी।

यह योजना अमेरिका, इंग्लैड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड तथा खाड़ी देशों में लागू की गयी है। इसका लक्ष्य ऐसी महिलाओं की सहायता करना है जो प्रवासी भारतीयों द्वारा छोड़ दी गयी हैं अथवा तलाक की कार्यवाही का सामना कर रही हैं।

कानूनी समन्वय पर सम्मेलन

महिला सशक्तिकरण समन्वय नामक संस्था ने, जो भारत में महिला सशक्तिकरण एवं समानता की दिशा में कार्यरत है, हाल ही ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कानूनी कार्यवाही समन्वय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा ही गयी। इस सम्मेलन में दिल्ली तथा बाहर के लगभग 300 व्यक्तियों ने भाग लिया।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री सुश्री रेनुका चौधरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के लागू होने के बाद उनके मंत्रालय को पुरूषों द्वारा भेजे गये अनेक अभद्र ई-मेल मिले हैं। उन्होंने कहा कि घरों में महिलाओं पर हिंसा को रोकने संबंधी यह कानून बहुत सी महिलाओं के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है।

डा. गिरिजा व्यास दीप प्रज्वलित करते हुए।
साथ में डा. रंजना कुमारी, सुश्री मेक्ज़ाइन ओलसन और सुश्री रेनुका चौधरी

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास तथा अन्य उपस्थित महिला प्रतिनिधियों ने भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यकरण की गति की आलोचना की। डा. व्यास ने कहा: ''यद्यपि यह कानून कई स्थानों पर लागू किया जा चुका है, तथापि यह प्रभावशाली साबित नहीं हुआ है। लगभग 90 प्रतिशत राज्यों ने संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है।''

बाद में, ''संसद में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व का अधिकार'' विषय पर एक पूर्ण सत्र का आयोजन किया गया। पेनल के सदस्य थे सुश्री मधु यक्षी, डा. रंजना कुमारी, महिला सशक्तिकरण समन्वय की अध्यक्षा और पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री आदिति मेहता।

सत्र में इन विषयों पर भी चर्चा की गयी: बालकों में घटता हुआ लिंग अनुपात, घरेलू हिंसा अधिनियम का क्रियान्वयन, महिला-उन्मुख बजट व्यवस्था और कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन शोषण से संरक्षा।

क्या आप जानते है?

महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के बावजूद भी, पुलिस बल में महिलाओं की संख्या कम चल रही है। बडे आश्चर्य की बात है कि देश में पुलिसकर्मियों की कुल 10,46,575 संख्या में केवल 40,101 महिलाएं हैं। इसका अर्थ है कि पुलिस बल में केवल 3.83 प्रतिशत महिलाएं हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय

- **दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार :** यदि कोई पति अपनी दूसरी पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में अपने साथ रहने को 'राजी' कर लेता है, तो उस पति को उसका भरण-पोषण करना होगा। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति की वह याचिका रद्द कर दी जिसमें वह इस बुनियाद पर अपनी दूसरी पत्नी को भरण-पोषण नहीं देना चाहता था कि उसके साथ उसका विवाह हिन्दू प्रथागत कानूनों के अनुसार वैध नहीं है।

- **सहमति से किया गया संभोग बलात्कार नहीं है :** उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया है कि विवाह करने का वादा करने के बाद लड़की के साथ उसकी सहमति से किया गया संभोग उस दशा में भी बलात्कार नहीं माना जा सकता जब कि पुरुष विवाह के अपने वादे से मुकर जाये। न्यायालय ने कहा कि आरोपी द्वारा वादा न निभाना तभी बलात्कार माना जा सकता है जब उसने यह सहमति दबाब डालकर अथवा डरा-धमका कर प्राप्त की हो।

- **लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय में कोटा :** पंजाब विश्वविद्यालय अपने सभी अध्यापन विभागों में उन छात्राओं के लिए कोटा निर्धारित करेगा जो अपने माता-पिता की केवलमात्र संतान है।

  चंडीगढ़ की गणना देश के उन शहरों में होती है जहां लड़कियों का अनुपात लड़कों की अपेक्षा सबसे कम है, अर्थात 1000 लड़कों पर 777 लड़कियां। विश्वविद्यालय का ध्येय परिवारों को भ्रूण हत्या की कुत्सित प्रथा से दूर रखने का है।

- **नाबालिगों के बलात्कार के मामलों में न्यायालय कठोरता बरतेंगे :** उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अपराधों, विशेषकर नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के मामलों, में कठोरता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे धृणित मामलों में नरमी दिखाना न्याय की अवहेलना करना होगा।

  दो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का वह निर्णय पलट दिया जिसमें एक 10-वर्षीय लड़की के बलात्कार के अरोपी की सज़ा सात वर्ष से घटाकर इस आधार पर साढ़े तीन वर्ष कर दी गयी थी कि उसकी उम्र केवल 18 वर्ष है और वह अनपढ़ है।

  न्यायाधीशों ने कहा कि बलात्कार के मामले में सज़ा की मात्रा पीड़िता अथवा आरोपी के सामाजिक स्तर पर निर्भर नहीं हो सकती।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या यास्मीन अब्रार ने लखनऊ में आयोजित मुस्लिम महिलाओं की एक जन सुनवाई में भाग लिया और उनकी शिकायतें सुनी। उन्होनें स्थानीय प्रशासन को महिलाओं की शिकायतें दूर करने के आदेश दिये।

  सुश्री अब्रार ने त्रिलोकपुरी में महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर आयोजित एक कानूनी जागरूकता शिविर में भी भाग लिया। उन्होनें लगभग 200 महिलाओं की सभा को संबोधित करते हुए उन्हें अपने परिवार तथा समाज में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति अवगत कराया। बाद में उन्होनें महिलाओं की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिए।

- सदस्या मालिनी भट्टाचार्य ने बंगाल में महिला अध्ययन स्कूल, जाटवपुर विश्वविद्यालय, सचेतना नामक गैर सरकारी संगठन और राज्य महिला आयोग द्वारा 'पंचायत महिला शक्ति अभियान' विषय पर आयोजित किए गये कार्यक्रम में भाग लिया। पश्चिम बंगाल के 12 जिलों से आयी लगभग 200 महिला प्रतिनिधियों के एक सत्र की उन्होनें अध्यक्षता की।

  सदस्या ने कल्याणी विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं छात्रों के सम्मुख 'महिलाएं और मीडिया' विषय पर भाषण दिया। बाद में, वह जिला बीरभूम में बोलपुर में गयीऔर कोटासुर जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों का मुआयना किया तथा अध्यापक दिवस कार्यक्रम में भाग ले रहे बच्चों से बातचीत की।

  जलपाईगुड़ी में उन्होनें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री से चाय बागान कामगारों के बारे में चर्चा की।

- सदस्या नीवा कंवर ने वारानासी में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया।

  इस अवसर पर बोलते हुए उन्होनें कहा कि समाज में अपना स्तर ऊंचा करने के लिए महिलाओं को आत्म-निर्भर बनने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होनें यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं को एक अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

- सदस्या मंजु हेमग्राम ने हाल ही में कटक में नारी भ्रूणहत्या पर एक सेमिनार में भाग लिया। इससे पूर्व, नारी भ्रूणहत्या के विरूद्ध एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें स्कूलों तथा कालिजों की लड़कियों सहित लगभग 1800 महिलाओं ने भाग लिया। सदस्या ने झंडा दिखाकर कर रैली प्रस्थान कराया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन